यूआईएन:ओआईसी-ओटी-पी15-53-वीओ2-14-15

**दि ओरिएण्‍टल इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेडप्रधान कार्यालय: ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्‍ली – 110002**

**ज्‍वैलर्स ब्‍लॉक बीमा पॉलिसी**

**जबकि** इस अनुसूची में वर्णित बीमाकृत व्‍यक्ति (जिसे इसके पश्‍चात् ‘**बीमाकृत’** कहा गया है) **दि ओरिएण्‍टल इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड** (जिसे इसके पश्‍चात् ‘**कंपनी’** कहा गया है) को एक प्रस्‍ताव और घोषणा जिसकी तिथि अनुसूची में दर्शायी गई है – के द्वारा निवेदन किया है तथा बीमाकृत ने इस बात की सहमति प्रदान की है कि यह वचन-पत्र के समान तथा प्रभावी होंगे तथा इस संविदा का आधार होंगे और इसमें समाविष्‍ट माने जाएंगे एवं इसमें निर्दिष्‍ट बीमे के प्रतिफल में अनुसूची में वर्णित प्रीमियम का भूगतान कर दिया है।

**अब यह पॉलिसी इस बात की साक्षी है** कि इसमें अंतर्निष्‍ट या पृष्‍ठांकित या अन्‍यथा निबंधनों, शर्तों और अपवादों के अधीन रहते हुए इसके द्वारा कंपनी यह करार करती है कि यदि बीमाकृत व्‍यक्ति को इसमें कथित बीमे की किसी अवधि के दौरान या बाद की ऐसी अवधि के दौरान जिसके संबंध में इस पॉलिसी के नवीकरण की अदायगी कंपनी स्‍वीकार कर चुकी है, किसी समय अनुसूची में वर्णित संपत्ति या इसके किसी भाग को बीमाकृत आपदा से नुकसान या हानि होती है तो बीमित राशि तक अथवा प्रत्‍येक अनुभाग में प्रत्‍येक मद के आगे निर्दिष्‍ट किसी एक हानि की सीमा की क्षतिपूर्ति करेगी।

किसी भी एक बीमा अवधि के दौरान कंपनी की देयता प्रत्‍येक विभिन्‍न मदों के सामने निर्दिष्‍ट बीमित राशि तक या उसके सामने दर्शाई गई किसी एक हानि की सीमा तक अथवा अनुसूची में वर्णित कुल बीमित राशि तक से अधिक नहीं होगी।

**खंड-I**

अनुसूची के खंड-I के अंतर्गत मद सं.1 से 5 के अधीन बीमित संपत्ति को बीमाकृत के व्‍यवसायिक परिसरों में पड़ी हुई है अ‍थवा अन्‍य परिसरों में जमा है जैसे कि अनुसूची में निर्दिष्‍ट किया गया हो, की केवल **अग्नि, विस्‍फोट/तडि़त, दंगा और हड़ताल, विद्वेषपूर्ण क्षति, गृह भेदन, चोरी, डकैती और होल्‍ड-अप जोखिम से हुआ नुकसान या क्षति**।

खंड-I के अंतर्गत बीमित आपदाओं के कारण उनकी चाबियां खो जाने की स्थिति में, सेफ या स्‍ट्रांग रूम को खोलने या ताले बदलने या अन्‍य सुधारात्‍मक कार्य करने हेतु लगी लागत को इस रूप में बीमित किया जाता है। बशर्ते कि खंड-I के अंतर्गत कंपनी की देयता हो इस उद्देश्‍य हेतु अधिकतम देयता खंड-I में व्‍यक्‍त बीमाराशि के 2% होगी।

**खंड-II**

अनुसूची के खंड-II के अंतर्गत मद सं.1 और 2 के अधीन बीमित संपत्ति को नुकसान या क्षति तथा बीमाकृत के बिजनेस के प्रयोजन से निर्दिष्‍ट परिसरों से बाहर प्रेषित/वितरित संपत्ति को किसी भी कारण से नुकसान या क्षति सिवाय जैसा कि इसके आगे अनुबंधित किया गया है।

**खंड-III**

अनुसूची के खंड-III के अंतर्गत मद सं.1, 2 और 3 में निर्दिष्‍ट बीमित संपत्ति को जब वह अनुसूची में वर्णित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर ट्रांजिट के दौरान किसी भी कारण से हानि या क्षति।

**खंड-IV**

बीमाकृत के परिसर जहां बीमाकृत अपना व्‍यवसाय चला रहा है तथा बीमाकृत के व्‍यवसाय के संबंध में प्रयोग में लाई जा रही बीमाकृत की संपत्ति, ऑफिस फर्नीचर, फिक्‍स्‍चर्स, फिटिंग्‍स को केवल अग्नि, विस्‍फोट, तडि़त, दंगा और हड़ताल, विद्वेषपूर्ण क्षति, सेंधमारी, गृहभेदन, चोरी, डकैती और होल्‍ड-अप जोखिमों से नुकसान या क्षति।

इस खंड में वर्णित बीमित राशि की शर्त पर इस खंड द्वारा प्रदत्‍त क्षतिपूर्ति की सीमा लुटेरों एवं/या चोरों द्वारा परिसर और/या भू-स्‍वामी के फिक्‍स्‍चर तथा फिटिंग्‍स के नुकसान जिसके लिए बीमाकृत एक किराएदार के रूप में कानूनी उत्‍तरदायी है 1% तक बढ़ाई जाती है।

**सदा के लिए उपबंध है कि इस पॉलिसी के अधीन निम्‍न के प्रति कंपनी की देयता नहीं होगी:**

1. बीमाकृत संपत्ति को उसके काम में लेने अथवा सफाई, मरम्‍मत अथवा पुन: स्‍थापना के दौरान तथा इसके सीधे परिणामस्‍वरूप होने वाली हानि तथा/अथवा क्षति।
2. स्‍टाफ में से ऐसी संपत्ति के गुम हो जाने के एवज में जिसके लिए पहले कोई दावा अधिसूचित नहीं किया गया हो जब तक कि कीमाकृत यह प्रमाणित न कर दे कि यह हानि इस पॉलिसी के कवर किए गए किसी आपदा के फलस्‍वरूप हुई है।
3. इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमित संपत्ति को उसे बीमाकृत अथवा उसके किसी प्रिंसिपल डारेक्‍टर अथवा बीमाकृत के साक्षीदार अथवा उनकी पत्नियों, परिवार के सदस्‍यों, रिश्‍तेदारों या मित्रों द्वारा पहनते हुए या प्रयोग में लाते अथवा इस हुए प्रयोजन हेतु उनकी कस्‍टडी में रखे जाने के दौरान होने वाली क्षति तथा/अथवा हानि।
4. जन प्रदर्शनार्थ रखी गई बीमित संपत्ति को हानि तथा/अथवा नुकसान चाहे यह प्रदर्शन पब्लिक अथॉरिटी अथवा ट्रेड एसोसिएशन या किसी अन्‍य द्वारा स्‍थापित अथवा आर्थिक सहायता प्राप्‍त क्‍यों न हो।
5. बीमाकृत के स्‍वयं के अथवा उसके तथा/अथवा उनके साथीदारों नौकरों एजेंटों अथवा प्रतिनिधियों के नियंत्रणाधीन ऐसे सड़क वाहनों से चोरी अथवा अदृश्‍य हुई संपत्ति, जिन्‍हें सूना छोड़ दिया गया हो।
6. घिसावट, ह्रास, इस्‍तेमाल तथा कीड़ों के खाने से होने वाली हानि अथवा क्षति।
7. शीशे के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन तथा टूट जाने वाले अन्‍य किस्‍म की चीजों को होने वाली हानि या क्षति जब तक कि रेल, वाहन अथवा हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्‍त न हो गया हो जिससे यह संपत्ति लाई जा रही थी।
8. निम्‍नलिखित द्वारा की गई चोरी या बेईमानी के कारण उत्‍पन्‍न हानि या क्षति:**क)** बीमाकृत के परिवार का कोई भी सदस्‍य

**ख)** बीमाकृत द्वारा नियोजित कोई नौकर या यात्री या संदेशवाहन

**ग)** कोई ग्राहक या व्‍यापारी का ग्राहक अंगाडि़या या कटर या सुनार जिसे बीमाकृत या उसके/उनके नौकरों या एजेंटों द्वारा एतद्द्वारा बीमित संपत्ति सौंपी गई हो।

1. **क)** भारत में मार्गस्‍थ तथा अनुसूची में कथित भौगोलिक क्षेत्र में अंतिम गंतव्‍य स्‍थल को मार्गस्‍थ माल को होने वाली हानि अथवा क्षति।**ख)** एतद्द्वारा बीमाकृत संपत्ति को यदि निर्यात किया गया हो तो बीमाकृत के परिसर से माल के रवाना होने के समय से लेकर वहन किए जाने व कस्‍टम अथवा कैरिअर अथवा डाकखाने को ले जाते समय/**ग)** आयात की गई संपत्ति के डाकखाने अथवा कैरिअर अथवा कस्‍टम, जो भी लागू हो, से डिलीवरी प्राप्‍त करने से लेकर बीमाकृत के परिसर पर माल की डिलीवरी पहुंचने तक।
2. सरकार अथवा किसी लोक या स्‍थानीय प्राधिकरण द्वारा या उसके आदेश पर माल के अवरोध, जब्‍ती राष्‍ट्रीयकरण अधिग्रहण कब्‍जा अथवा जानबूझकर नष्‍ट करने के फलस्‍वरूप होने वाली हानि अथवा क्षति।
3. **क)** बीमाकृत की सेफ की चाबियों अथवा उनकी डुप्‍लीकेट चाबियों के प्रयोग से उद्भूत हानि जब तक कि ऐसी चाबियां अथवा उनकी डुप्‍लीकेट चाबियां डराकर अथवा हिंसा द्वारा प्रापत न की गई हो।

**ख) चाबियों का रख-रखाव: बीमाधारक के परिसर और/या सेफ की चाबियों को बीमाधारक के परिसर पर कारोबारी घंटों के बाद नहीं छोड़ा जाए जब तक कि ऐसे परिसरों पर बीमाधारक या अन्‍य बीमाधारक के किसी प्राधिकृत कर्मचारी का स्‍वामित्‍व न हो, यदि चाबियों को परिसर में ऐसी छोड़ दिया जाए तो उन्‍हें सुरक्षित स्‍थान पर जमा करवा दिया जाएगा।**

1. बीमाकृत संपत्ति को खिड़की में प्रदर्शित किए जाने के दौरान रात के समय अथवा कार्य के घंटों के बाद सेफ से बाहर रखे जाने के कारण होने वाली हानि अथवा क्षति।
2. विलंब को शामिल करते हुए किसी प्रकार की परिणामी हानि अथवा क्षति।
3. **क)** भूचाल, ज्‍वालामुखी विस्‍फोट, चक्रवात, तूफान, प्रभंजन बवंडर, बाढ़, झंझावात, प्रचंडत्‍व अथवा अन्‍य प्राकृतिक विक्षोभ निम्‍नलिखित द्वारा या के माध्‍यम से या के परिणामस्‍वरूप प्रत्‍यक्षत: या परोक्षत: घटित होने वाली हानि अथवा क्षति – जब तक कि पॉलिसी अनुसूची में विशेष रूप से सहमत न किया गया हो।

**ख)** भूचाल, ज्‍वालामुखी विस्‍फोट, चक्रवात, तूफान, प्रभंजन बवंडर, बाढ़, झंझावात, प्रचंडत्‍व अथवा अन्‍य प्राकृतिक विक्षोभ निम्‍नलिखित द्वारा या के माध्‍यम से या के परिणामस्‍वरूप प्रत्‍यक्षत: या परोक्षत: घटित होने वाली हानि अथवा क्षति – जब तक कि पॉलिसी अनुसूची में विशेष रूप से सहमत न किया गया हो।

**ग)** भूमिगत आग या वातावरण संबंधी गड़बड़।**घ)** युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु की कार्रवाई, युत्रस्थिति (चाहे युद्ध घोषित हो अथवा नहीं), असैनिक युत्र, बगावत, क्रांति, राजविद्रोह, सैनिक अथवा बलात गृहीत शक्ति, मार्शल लॉ।

1. **क)** किसी दुर्घटना के फलस्‍वरूप अथवा इसके उद्भूत या परिणामी संपत्ति को होने वाली हानि या क्षति।

**ख)** आईनीकरण रेडिएशन अथवा परमाणु रद्दी में रेडियोधर्मिता परमाणु ईंधन में दहन के प्रत्‍यक्ष अथवा परोक्ष कारण स्‍वरूप उद्भूत किसी भी किस्‍म का दायित्‍व। केवल इस अपवर्जना के उद्देश्‍य से दहन के अंतर्गत परमाणु विखंडन संबंधी स्‍वयं घटित होने वाली प्रक्रिया शामिल है।

1. परमाणु हथियार सामग्री से प्रत्‍यक्षत: अथवा परोक्षत: उद्भूत कोई दुर्घटना के फलस्‍वरूप होने वाली कोई हानि अथवा क्षति।
2. चमत्‍कारी अदृश्‍यों के परिणामस्‍वरूप हानियों को अपवर्णित किया जाता है।
3. कम्‍प्‍यूटर सिस्‍टम के रिकार्ड की हानि या क्षति
4. आतंकवाद अपवर्जन वारंटी

आतंकवाद के किसी कृत्‍य के फलस्‍वरूप हुई हानि या क्षति जब तक एवं अन्‍यथा अतिरिक्‍त प्रीमियम का भुगतान करके पॉलिसी के अंतर्गत आतंकवाद कवर को विकल्‍प न लिया गया हो और बीमित न किया गया हो। इस अपवर्जन के उद्देश्‍य हेतु आतंकवाद के कृत्‍यों से तात्‍पर्य उस कृत्‍य, लेकिन इसी तक सीमित नहीं, से है जिसमें किसी व्‍यक्ति या व्‍यक्तियों के समूह (समूहों) द्वारा दी गई धमकी और/या हिंसक कार्य शामिल हैं चाहे अकेले किए गए हों या किसी संगठन (संगठनों) या सरकार (सरकारों) के संबंध में या उनकी ओर से राजनीतिक, धार्मिक, आदर्शवादी या इन्‍हीं प्रकार के उद्देश्‍यों हेतु किए गए हों, जनता या जनता के किसी भाग को डराना और/या सरकार को प्रभावित करने की इच्‍छा भी इसमें शामिल है।

1. किंबरले अपवर्जन खंड (क्‍लॉज)

किंबरले प्रक्रिया प्रमाणीकरण योजना के नियमों का उल्‍लंघन करने या अनुपालन न करने के फलस्‍वरूप अधिग्रहण या जब्‍ती के कारण प्रत्‍यक्षत: या परोक्ष रूप से उत्‍पन्‍न खर्च या लागत, हानि, क्षति को यह बीमा अपवर्जित करती है।

किंबरले प्रक्रिया प्रमाणीकरण योजना विविध सरकारी, अंतर्राष्‍ट्रीय डायमंड उद्योग तथा सिविल सोसाईटी का एक संयुक्‍त प्रयास है ताकि उन विवादित – बेकार डायमंड के प्रवाह को रोका जा सके जिनका प्रयोग वैद्द सरकारों के विरूद्ध युद्ध को वित्‍तपोषित करने हेतु विद्रोहपूर्ण गतिविधियों में किया जाता है।

**सामान्‍य शर्तें**

यह पॉलिसी और अनुसूची एक लाभ एक साथ पढे जाएंगे तथा किसी शब्‍द अथवा अभिव्‍यक्ति का इस पॉलिसी या अनुसूची के किसी भाग में जो विशेष अर्थ है, जहां कहीं यह शब्‍द या अभिव्‍यक्ति आए उसका वही अर्थ होगा।

1. इस पॉलिसी से संबंधित सभी सूचनाएं एवं पत्र-व्‍यवहार कंपनी को लिखित में भेजी जानी चाहिए। नवीकरण प्रीमियम की कोई भी रसीद तब तक वैध न होगी जब तक यह कंपनी द्वारा जारी कार्यालयी फार्म पर न हो तथा इस पॉलिसी पर कोई भी पृष्‍ठांकन अथवा इसकी मदों में परिवर्तन तब तक न्‍याययुक्‍त न हो जब तक कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्‍ताक्षरित न हो।
2. संपत्ति की सुरक्षा के लिए बीमाकृत कर्मचारियों के चुनाव एवं निरीक्षण सभी दरवाजों, खिड़कियों एवं अन्‍य प्रवेश अथवा निकास के सभी साधनों के विषय में सभी सही सावधानियां बरतेगा तथा कंपनी की सहमति के बिना कंपनी के हित में हानिकर होने वाले प्रस्‍ताव फार्म में दिए गए किसी भी सुरक्षा अथवा बचाव के उपायों को वापिस अथवा मित्र स्‍वरूप प्रदान नहीं करेगा।
3. मिथ्‍या कथन, मिथ्‍या वर्णन अथवा किसी वस्‍तुपरक तथ्‍य के छुपाव की दशा में यह पॉलिसी रद्द हो जाएगी तथा भुगतान किए गए सभी प्रीमियम कंपनी द्वारा दंड स्‍वरूप जब्‍त कर लिए जाएंगे।
4. जब तक कंपनी द्वारा पृष्‍ठांकित एवं बीमा जारी रखे जाने की घोषणा न कर दी जाए तब तक प्रस्‍ताव स्‍वीकार करने के पश्‍चात् अगर जोखिम की स्थिति अथवा परिसर में कोई परिवर्तन लाया गया तो इसके अंतर्गत कोई भी दावा वसूली योग्‍य नहीं होगा।
5. इस पॉलिसी के अंतर्गत्‍ किसी भी हित के ट्रांसफर के किसी भी नोटिस को स्‍वीकार करने के लिए कंपनी किसी भी दशा में बाध्‍य नहीं होगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत उद्भूत किसी के भी हित में अंतरण संबंधी किसी भी नोटिस को स्‍वीकार करने के लिए कंपनी बाध्‍य नहीं होगी तथा इसके अंतर्गत कोई भी तथ्‍य बीमाकृत के अतिरिक्‍त किसी भी व्‍यक्ति को कंपनी के विरूद्ध अधिकारी प्रदान नहीं करता है सिवाय उस अंतरित व्‍यक्ति के जिसे कंपनी ने अनुमोदित किया हो।
6. **I. रिकार्ड रखना: बीमाधारक पॉलिसी के अंतर्गत बीमित किसी व्‍यक्ति को सौंपी गई संपत्ति तथा बीमाधारक के परिसर पर संपत्ति दोनों का (मात्रा, गुणवत्‍ता तथा मूल्‍य) का रोज़ का रिकार्ड रखेगा। ऐसे रिकार्ड को बीमाधारक के परिसर पर किसी सुरक्षित स्‍थान पर रखा जाएगा। इसकी एक प्रति बीमाधारक के परिसर के अलावा अन्‍य किसी स्‍थान पर भी रखी जाए। पॉलिसी के अंतर्गत दावे के समर्थन में दस्‍तावेजी साक्ष्‍य के रूप में रिकार्ड को प्रस्‍तुत किया जाए।**

**बीमाधारक स्‍टॉक एवं बहीखातों, जिसमें सभी क्रय एवं विक्रय का लेख-जोखा हो, को उचित रूप से रखेगा। बैंक के लॉकर्स में जमा एवं निकाले गए स्‍टॉक हेतु बीमाधारक अलग से रजिस्‍टर रखेगा।**

**II. आवास पर भंडारण खंड:पक्षों के मध्‍य यह सहमत किया जाता है तथा समझा जाता है कि जब भी बीमाधारक और/या बीमाधारक का प्रतिनिधि किसी भी बीमित सामान को घर ले जाता है तो जब तक इसे निजी आवास पर सेफ में तालाबंद नहीं किया जाता तब तक इस सामान को किसी वयस्‍क के निजी एवं स्‍थायी निरीक्षण में रखा जाए।**

**III. सीसीटीवी वारंटी: वारंटी लगाई जाती है कि उठाईगिरी दावों के भुगतान सीसीटीवी फुटेज के स्‍पष्‍ट रूप से पहचान के अधीन है।**

1. किसी भी हानि की जानकारी होने पर जिससे किसी भी प्रकार का दावा उत्‍पन्‍न हो सकता हो, बीमाकृत संपत्ति को ढूँढने तथा वसूल करने के लिए तथा चोरी अथवा क्षति की दशा में (परोक्ष अथवा अपरोक्ष) उस व्‍यक्ति के खोजने का प्रयत्‍न जिसने संपत्ति चुराई है अथवा क्षतिग्रस्‍त की है तथा दोषी व्‍यक्ति का दोष सिद्ध करने एवं किसी भी चोरी की गई संपत्ति को वसूल करने के लिए सभी क्रियात्‍क्रम कदम उठाएगा।
2. बीमाकृत के अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत पत्र द्वारा सात दिनों का नोटिस भेजते हुए कंपनी इस पॉलिसी को रद्द कर सकती है तथा इस स्थिति में जितने समय पॉलिसी प्रभावी रही है उतने समय का अनुपातिक अंश कम करते हुए बीमाकृत को प्रीमियम वापिस कर देगी अथवा यह पॉलिसी बीमाकृत द्वारा सात दिनों का नोटिस भेजते हुए (यदि उस चालू बीमावधि में कोई दावा न हुआ हो) **इस पॉलिसी को रद्द कर सकती है इस स्थिति में पॉलिसी प्रभावी रहने की अवधि के दौरान तक का प्रीमियम कंपनी के लघु अवधि दरों के आधार पर प्रीमियम वापिस लेने का हक बीमाकृत को होगा।**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **जोखिम की अवधि (अनधिक)** |  | **वार्षिक प्रीमियम दर की वापसी** |
| 1 माह  |  | 75%  |
| 3 माह  |  | 50%  |
| 6 माह |  | 25%  |
| 6 माह से अधिक |  | शून्‍य  |

1. यदि दावा कपटपूर्ण किया गया हो अथवा यदि बीमाकृत द्वारा अथवा उसकी एवज में किसी अन्‍य व्‍यक्ति द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी लाभ को प्राप्‍त करने के लिए किसी कपटपूर्ण साधनों अथवा युक्तियों का प्रयोग किया गया हो अथवा यदि बीमाकृत अथवा उसकी सहमति से उसके स्‍वेच्‍छापूर्ण कृत्‍य द्वारा कोई नुकसान अथवा क्षति की गई हो तो इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ समाप्‍त हो जाएंगे।
2. इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी नुकसान को कम करने अथवा दूर करने के लिए बीमाकृत सभी उपयुक्‍त उद्यम करेगा एवं करने की सहमति प्रदान करेगा।
3. किसी भी हानि अथवा नुकसान के होने पर यदि 60 दिनों के भीतर उसका पता नहीं लग जाता तो इस पॉलिसी के अंतर्गत इसके लिए कंपनी भुगतान के लिए उत्‍तरदायी नहीं होगी।
4. इस बीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की हानि या क्षति जो भी स्थिति हो, बीमित के लिए यह न्‍यायसंगत है कि उसके या उनके कारक सहायकों अथवा उसके या उनके संपत्ति के भागीदारों पर मुकदमा करने उसकी बीमित संपत्ति के अथवा उसके किसी भाग के बचाव के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के बीमित को छूट का अधिकार है।
5. यदि बीमित के संज्ञान में कोई ऐसी घटना आती है जिससे इस पॉलिसी के अंतर्गत दावा उत्‍पन्‍न या उत्‍पन्‍न होने की संभावना हो सकती हो तो:**क)** बीमित व्‍यक्ति 24 घंटे के भीतर कंपनी काके तथा पुलिस को सूचित करेगा तथा दोषी व्‍यक्ति या व्‍यक्तियों को खोजने तथा गुम हुई या चोरी हुई संपत्ति को प्राप्‍त करने तथा अपराधी व्‍यक्ति या व्‍यक्तियों से दोष सिद्धि करवाने तथा अभियोजन हेतु सभी व्‍यवहारिक कदम उठाएगा।**ख)** घटना की जानकारी मिलने की तिथि से 14 दिनों के भीतर बीमित व्‍यक्ति कंपनी को हानि एवं क्षति किसी एक की विस्‍तृत विवरणी देगा जिसमें गुम हुई वस्‍तुओं के वास्‍तविक मूल्‍य के अनुमान के साथ संभावित क्षति की राशि का वर्णन होगा।

**ग)** बीमित व्‍यक्ति कंपनी से अधिकृत प्रतिनिधियों की परिसर तथा बहीखातों की जांच करने की अनुमति देगा तथा दावे को सिद्ध करने हेतु सभी स्‍पष्‍टीकरण वाऊचर स्‍वामित्‍व का प्रमाण तथा अन्‍य साक्ष्‍य प्रस्‍तुत करेगा तथा यदि कंपनी आवश्‍यक समझेगी तो दावे के समर्थन में बीमित या उसके परिवार के किसी सदस्‍य या कर्मचारी के प्रमाणित साक्ष्‍य की मांग कर सकती है।

1. **होटल/मोटल क्‍लास**

अस्‍थायी जोखिमों के संबंध में यह बीमा केवल उसी बीमित संपत्ति को संरक्षित करती है जो बीमित और/या बीमित के कर्मचारी(कर्मचारियों) और/या प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के हाथ में या नजर में हो या बैंक के सुरक्षित डिपाजिट वॉल्‍ट में हो या होटल या मोटल और/या कस्‍टम की अभिरक्षा में हो। इस खंड के उद्देश्‍य हेतु, होटल/मोटल के कमरे में सेफ के संबंध में संरक्षण तभी चालू होगा जबकि कमरा अधिकार में हो तथा बीमित संपत्ति सेफ और/या वाल्‍ट में निहित हो।

बीमित व्‍यक्ति की होटल/मोटल के खाली कमरों में पड़ी संपत्ति को पहु्ंची हानि या क्षति को यह बीमा अपवर्जित करता है।

1. **निजी वाहन खंड**

यह बीमा इस बीमा के अंतर्गत किसी पदनामित व्‍यक्ति की केवल ‘गहन निजी अभिरक्षा एवं नियंत्रण’ में पारवहन के दौरान बीमित संपत्ति को ही बीमित करता है तथा व्‍यक्तिगत सीमाओं के तहत, यदि संलग्‍न अनुसूची में कुछ निर्दिष्‍ट किया गया हो। इस खंड के उद्देश्‍य हेतु, ‘गहन निजी अभिरक्षा तथा नियंत्रण’ से तात्‍पर्य है कि बीमित संपत्ति पारवहन के दौरान होटल/मोटल खंड के तहत हर समय, पदनामित व्‍यक्ति की नजरों में या साथ रहेगी। पदनामित व्‍यक्ति द्वारा बीमित संपत्ति से अधिक ‘गहन निजी अभिरक्षा एवं नियंत्रण’ को जानबूझ कर या लापरवाही से छोड़ने के कारण, इसके अंतर्गत वसूल के उद्देश्‍य से हानि स्‍वीकार्य नहीं होगी तथा तत्‍काल ही होटल/मोटल के तहत संरक्षण निरसित हो जाएगा। पदनामित व्‍यक्ति की अविश्‍वस्‍तता के कारण हुई हानियों को अपवर्णित किया गया है।

1. दावे के भुगतान से पूर्व तथा बिना इस पर विचार किए कि निपटान का प्रस्‍ताव पेश कर दिया गया है। कंपनी किसी भी समय, किसी संपत्ति के संबंध में हानि या क्षति की राशि का भुगतान करने के बजाए इसे पुन: विस्‍थापित कर सकती है या गुम हुए या क्षतिग्रस्‍त किसी संपत्ति या किसी भाग को प्रतिस्‍थापित कर सकती है तथा ऐसी संपत्ति के किसी अवशेष के संबंध में हानि या क्षति की राशि का भुगतान कर सकती है, जैसा भी कंपनी उचित समझे। बशर्ते कि यदि कंपनी संपत्ति को प्रतिस्‍थापित करके भी हानि या क्षति को पूरा करना चाहती है तो ऐसी संपत्ति की बिल्‍कुल वैसा या पूर्ण रूप से पुन:स्‍थापित या प्रतिस्‍थापित करने के लिए बाह्य न होकर केवल उतना ही यथोचित पर्याप्‍त ढंग से ही करेगा जितना कि परिस्थितियों के अनुसार आवश्‍यक होगा। यदि संपत्ति कंही और भी बीमित है तो ऐसी स्थिति में इसे पुन:स्‍थापित, प्रतिस्‍थापित करने या क्षतिपूर्ति प्रदान करने में कंपनी अन्‍य किसी बीमा कंपनी के साथ मिल सकती है।
2. यदि बीमित की सभी विनिर्दिष्ट परिसरों में बीमित संपत्ति को किसी बीमित आपदा से हानि अथवा क्षति के समय क्षति की राशि एतद्द्वारा बी‍मित राशि से अधिक हो तो उस बीमित बीमा अंतर के लिए बीमाधारक स्‍वंय बीमा कंपनी होने के रूप में माना जाएगा और उसकी राशि से अधिक मूल्य के अंतर की क्षति या हानि का अनुपातिक भाग वह स्‍वंय वहन करेगा **परन्‍तु यह क्‍लॉज केवल 1 तथा 4 भाग पर ही लागू होगी।**
3. यदि किसी भी हानि या क्षति के समय में वहाँ इस प्रकार की हानि के खिलाफ किसी अन्य संविदा के अंतर्गत बीमा हो तो कंपनी इस तरह के नुकसान या क्षति के लिए अपने यथा अनुपात से अधिक के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
4. इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमित एवं कोई भी दावाकर्ता उन सभी व्‍ययों एवं वस्‍तुओं को कंपनी के खर्चे पर करेंगे या करने के लिए सहमत होंगे और अनुमति देंगे, जो किसी भी अधिकार एवं उपायों को लागू करने हेतु या उन अन्‍य पक्षों से क्षतिपूर्ति या अनुदान प्राप्‍त करने हेतु अनिवार्य होंगे जिनको इन पॉलिसी के अंतर्गत हानि या क्षति की प्रतिपूर्ति करने या भुगतान करने हेतु कंपनी देय होगी या किसी अन्‍य कंपनी के प्रति प्रस्‍थापित होगी, लेकिन ऐसी वस्‍तुएं या कार्य कंपनी द्वारा दी गई बीमा क्षतिपूर्ति से पूर्व या पश्‍चात् आवश्‍यक या अनिवार्य होंगे।
5. **इस बीमा के अंतर्गत मूल्यांकन प्रयोजन के लिए अनूसूची में जो वर्णित हैं, को आधार माना जाएगा**
6. क) किसी भी हानि या क्षति के होने के तत्‍काल पश्‍चात् खंड-I के अंतर्गत बीमा राशि में से हानि या क्षति की राशि को कम कर दिया जाएगा तथा अनुसूची के खंड-II एवं III में निर्दिष्‍ट विविध मदों के अंतर्गत बीमा राशि को भी उसी अनुपात में कम किया जाएगा जितना कि खंड-I में बीमा राशि को किया गया है तथा पॉलिसी की वर्तमान अवधि के दौरान बाद में होने वाली हानियों या क्षतियों के संबंध में की कंपनी की देयता इसी कम हुई बीमा राशि तक सीमित होगी। जब तक कि अतिरिक्‍त यथानुपात प्रीमियम के भुगतान पर पूरी बीमा राशि को असमाप्‍त अवधि तक पुन:स्‍थापित करने हेतु कंपनी सहमत नहीं हो जाती।

ख) किसी भी हानि या क्षति के होने के तत्‍काल पश्‍चात् खंड-IV के अंतर्गत बीमा राशि में से हानि या क्षति की राशि को कम कर दिया जाएगा तथा पॉलिसी की वर्तमान अवधि के दौरान बाद में होने वाली हानियों या क्षतियों के संबंध में भी कंपनी की देयता इसी कम हुई बीमा राशि तक सीमित होगी। जब तक कि अतिरिक्‍त यथानुपात प्रीमियम के भुगतान पर पूरी बीमा राशि को असमाप्‍त अवधि तक पुन:स्‍थापित करने हेतु कंपनी सहमत नहीं हो जाती।

1. यदि इस पॉलिसी के अधीन अदा की जाने वाली राशि के विषय में कोई विवाद या मतभेद (दायिता अन्‍यथा मान होने पर) उत्‍पन्‍न हो तो ऐसे मतभेदों को अन्‍य सभी मुद्दों से निरपेक्ष होकर मतभेद रखने वाले पक्षों द्वारा लिखित में नियुक्‍त मध्‍यस्‍थ के पास निर्णय के लिए भेज दिया जाएगा अन्‍यथा यदि वे किसी एम पक्ष द्वारा मध्‍यस्‍थता होने के 30 दिनों के भीतर एक मध्‍यस्‍थ के लिए राजी न हो, तो (ऐसे मतभेद) को बतौर मध्‍यस्‍थ तीन मध्‍यस्‍थों के पैनल को भेजा जाएगा, जिनमें से एक की नियुक्ति विवाद/मतभेद के प्रत्‍येक पक्ष द्वारा लिखित में की जाएगी तथा तीसरे मध्‍यस्‍थ की नियुक्ति उन दो मध्‍यस्‍थों द्वारा की जाएगी तथा मध्‍यस्‍थता व समझौता अधिनियम 1996 के उपबंधों के अनुरूप व अंतर्गत्‍ मध्‍यस्‍थता की जाएगी।

यह स्‍पष्‍टता करार किया जाता है तथा मान लिया जाता है कि यदि कंपनी ने इस पॉलिसी के अधीन या संबंध में दावे का विरोध किया है या दायिता स्‍वीकार नहीं की है तो कोई भी मतभेद या विवाद मध्‍यस्‍थ के लिए नहीं भेजा जा सकता जैसा कि इससे पहले इसका प्रावधान किया गया है।

इसके द्वारा अभिव्‍यक्ति रूप से यह निर्देश तथा घोषणा की जाती है कि इस पॉलिसी के अधीन कोई कार्यवाही या मुकदमा करने के अधिकार से पहले यह शर्त होगी कि हानि या क्षति की राशि के संबंध में ऐसे मध्‍यस्‍थ/मध्‍यस्‍थों अथवा पंचनिर्णायकों द्वारा दिए गए फैसले को पहले ही प्राप्‍त कर लिया जाएगा।

एतद्द्वारा आगे यह भी स्‍पष्‍ट करते हुए सहमति दी जाती है तथा घोषणा की जाती है कि यदि कंपनी यहां नीचे किसी भी दावे के लिए बीमित के प्रति दायित्‍व के दावे को नहीं मानती तथा ऐसी अस्‍वीकरण की तिथि से 12 कैलेंडर माह के भीतर उपकथित दावे को विषय बनाकर न्‍यायालय में मुकदमा दायर नहीं करती तो दावे को छोड़ा हुआ मान लिया जाएगा व उसके बाद वसूली योग्‍य नहीं होगा।

1. युगल व सेट के सरूपण भाग के किसी अंश की हानि या क्षति की स्थिति में कंपनी युगल या सेट के सरूपण हिस्‍से के अंश या अंशों के किसी विशेष मूल्‍य को देखे बिना विशेष भाग या भागों के मूल्‍य का भुगतान करेगी किन्‍तु किसी भी स्थिति में कंपनी की देयता, युगल या सेट के संबंध मं बीमा राशि के आनुपातिक हिस्‍से से अधिक नहीं होगी।
2. इस पॉलिसी के अधीन कोई भुगतान करने की कंपनी की देयता के लिए इस आशय के वास्‍ते यह पूर्व शर्त होगी कि इस पॉलिसी के नियमों, प्रावधान शर्तों और पृष्‍ठांकनों का उचित पालन उस सीमा तक किया जाए जहां तक बीमित व्‍यक्ति द्वारा किसी बात के किए जाने या उनका पाल किए जाने और उक्‍त प्रस्‍ताव के कथनों व उत्‍तरों की सत्‍यता का संबंध है।

परिभाषाएं

1. **भौगोलिक क्षेत्र:**इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति पॉलिसी में निर्दिष्‍ट के अलावा भारत में उत्‍पन्‍न होने वाले दावों तथा भारतीय कानून के अनुसार निर्धारित दावों के लिए ही सीमित है तथा कंपनी केवल भारतीय रूपए में ही भुगतान करने के लिए बाह्य होगी।
2. **धन:**धन से तात्‍पर्य और उसमें शामिल हैं - नकद, सिक्‍के, बैंक ड्राफ्ट, मुद्रा नोट, चैक, ट्रेवलर चैक, पोस्‍टल ऑर्डर, पे आर्डर तथा वर्तमान डॉक टिकट।
3. **मानक सेफ:**मानक सेफ से तात्‍पर्य है – कीमती वस्‍तुओं के सुरक्षित भंडारण तथा सेफ हेतु बीमित के परिसर के अंतर्गत्‍ तैयार की गई स्‍पेशल तालों के साथ स्‍टील की एक मजबूत केबिनेट, जहां तक पहुंचना प्रतिबाधित हो।

इसे परिसर के फर्श या दीवार तक जोड़ा जाएगा या इतना भारी बनाया जाएगा ताकि सेफ को कंही ले कर जाने से बचाया जा सके। लॉकर्स वाली सामान्‍य स्‍टील के कबर्ड तथा अलमारियां वर्जित हैं।

1. **शो विंडोस :**

इससे तातपर्य है – दुकान के आगे स्‍थापित डिस्‍प्‍ले विंडो जहां बीमित की संपत्ति को दिखाया गया हो।

1. **वारंटीज़ :क्‍लास-I** वारंटी से मतलब है – बीमित द्वारा नियोजित चौकीदार कर्मचारी पर 24 घंटे अनुसूची में सूचीबद्ध सभी परिसर पर एएमसी के साथ सीसीटीवी कवरेज को नियोजित रखना।

**क्‍लास-II** का अर्थ है – जहां पर आम चौकीदार है वहां दिन के समय, रात के समय या चौबीसों घंटे बिल्डिंग में वारंटी प्रदान की जाती है।

**क्‍लास-III** का अर्थ है – किसी भी परिस्थिति में उदाहरण के लिए जहां पूरे इलाके में एक ही चौकीदार हो या जहां चौकीदार नहीं है।

**नोट : प्रीमियम का चैक अस्‍वीकृत होने की स्थिति में पॉलिसी को स्‍वत: ही आरंभ से निरस्‍त माना जाएगा।**

**टिप्‍पणी : कानूनी विवेचना (इन्‍टरप्रिटेशन) के प्रयोजन से अंग्रेजी रुपांतर विधिमन्‍य होगा ।**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***